कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, पुणे–410507, (महाराष्ट्र) ।

पश्चिमी क्षेत्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वर्ष–2010 के लिए सिपाही/सामान्य ड्यूटी (पुरूष एवं महिला) के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन

संख्या : आर–दो–7/2010–11–स्था–5(पु/म)   दिनांक 19 जुलाई, 2010.

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही/सामान्य ड्यूटी (पुरूष/महिला) के पदों पर भर्ती हेतु गुजरात, महाराष्ट्र, दमन एवं दीव व नगर हवेली, गोवा, राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के निवासी एवं महाराष्ट्र राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों/राज्य के रहने वाले पुरूष एवं महिला भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

2. पद हेतु वेतनमान – वेतन बैंड–1 रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2000/–

3. अन्य भत्ते :–नियमों के अधीन केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समय–समय पर मिलने वाले भत्ते।

4. ड्यूटी स्थल :–भारत की सीमा के भीतर तथा बाहर कहीं भी।

5. राज्य/कैटेगरीवाईज जारी/अधिसूचित रिक्तियों का विवरण अधोलिखित हैः–

रिक्तियाँः– पुरूष

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	रिक्तियां									बैकलॉग रिक्तियां				
	सामान्य	सामान्य (भू0पू0 सैनिक)	अन्य पिछड़ी जाति	अन्य पिछड़ी जाति (भू0पू0 सैनिक)	अनु. जाति	अनु. जाति (भू0पू0 सैनिक)	अनु. जन जाति	अनु. जन जाति (भू0पू0 सैनिक)	कुल	सामान्य	अ0पि0 जाति	अ0जा0	अ0 ज0 जा0	कुल
दादर एवं नगर हवेली	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
दमन एवं दीव	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
गोवा	9	1	2	–	–	–	–	–	12	–	1	1	–	2
गुजरात	212	24	113	13	30	3	63	7	465	–	50	19	–	69
महाराष्ट्र	431	48	215	24	80	9	72	8	887	–	68	16	–	84

ख) <u>महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गडचिरोली, चंद्रपुर एवं गोंदिया जिलों के लिए आवंटित रिक्तियॉ पुरूष उम्मीदवारो के लिए ।</u>

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	सामान्य	सामान्य (भू0पू0 सैनिक)	अन्य पिछड़ी जाति	अन्य पिछड़ी जाति (भू0पू0 सैनिक)	अनुसुचित जाति	अनुसुचित जाति (भू0पू0 सैनिक)	अनुसुचित जन जाति	अनुसुचित जन जाति भू0पू0 सैनिक)	कुल रिक्तियां
महाराष्ट्र	62	7	31	3	12	1	10	1	127

<u>ग) रिक्तियॉः</u>– महिला

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	रिक्तियां					बैकलॉग रिक्तियां				
	सामान्य	अन्य पिछड़ी जाति	अनुसुचित जाति	अनुसुचित जन जाति	कुल रिक्तियां	सामान्य	अन्य पिछड़ी जाति	अनुसुचित जाति	अनुसुचित जन जाति	कुल रिक्तियां
दादर एवं नगर हवेली	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
दमन एवं दीव	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
गोवा	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
गुजरात	2	2	1	1	6	--	--	2	--	2
महाराष्ट्र	6	3	1	1	11	--	3	7	--	10

घ) <u>महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गडचिरोली, चंद्रपुर एवं गोंदिया जिलों के लिए आवंटित रिक्तियॉ महिला उम्मीदवारो के लिए ।</u>

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	सामान्य	अन्य पिछड़ी जाति	अनुसुचित जाति	अनुसुचित जन जाति	कुल रिक्तियां
महाराष्ट्र	1	--	--	--	1

क) प्रशासनिक कारणों से रिक्तियों मे बाद में कम अथवा ज्यादा हो सकता है।

ख) उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों के उपलब्ध न होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिकों हेतु आवंटित रिक्तियां संबंधित जाति के अभ्यर्थियों से भरी जाएगीं।

ग) 5 प्रतिशत रिक्तियॉ करूणामूलक आधार पर भर्ती हेतु सुरक्षित रखी गयी है।

6. सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 01/01/2004 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए नई अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है, जो सभी चयनित उम्मीदवारों के लिए लागू होगी।

7. <u>भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन हेतु पात्रता :–</u>

चूंकि भूतपूर्व सैनिक प्रशिक्षित सिपाही होते हैं अतः उनके चयन हेतु किसी भी प्रकार की शारीरिक दक्षता परीक्षा देय नही है । फिर भी उन्हे लिखित परीक्षण एवं चिकित्सा परीक्षण देनी होगी । सरकारी आदेशानुसार निर्धारित शारीरिक मापदण्ड तथा शिक्षा में पूर्णतया छूट देय है। ऊपरी आयु सीमा में सैन्य सेवा के साथ तीन(3) वर्ष तक की छूट लागू है तथापि सैन्य सेवा तथा पुनर्नियोजन के मध्य 24 माह से अधिक का सेवा भंग नहीं होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) की आवश्यकता नहीं है। उनका चरित्र 'अच्छा', शिक्षा सशस्त्र सेना के अनुसार तथा चिकित्सा श्रेणी 'ए–वन' होनी चाहिए।

8. के0रि0पु0बल में सेवारत कार्मिकों के बच्चे भी चाहे तो, तदानुसार आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उन्हे सामान्य अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी होगी। के0रि0पु0बल कार्मिकों के पुत्र या तो अपने गृह राज्य अथवा भर्ती के समय जिस राज्य में उनके माता/पिता तैनात है, आवेदन कर सकते हैं।

9. <u>कथित पदों के लिए पात्रता की शर्तें इस प्रकार है :–</u>

क) आयु : –01/08/2010 को 18 वर्ष से कम और 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(उम्र की गणना दि0 01 अगस्त 2010 से की जायेगी)

छूट :–

1) <u>आयु–</u>

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ऊपरी आयु सीमा 23 वर्ष में 5 वर्ष तक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट।

अ) जम्मु ओर कश्मीर निवासी अभ्यार्थियों को आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट (कृपया सूचना पुस्तिका के पैरा 2 (ii) (b) का अवलोकन करें)।

आ) वर्ष 1984 के दंगों में एवं गुजरात राज्य में वर्ष 2002 के दंगे में मारे गए लोगों के बच्चों एवं आश्रितों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। (कृपया सूचना पुस्तिका के पैरा 2 (ii) (c) का अवलोकन करें)।

ख) शैक्षणिक योग्यता :–
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविधालय से कम से कम मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा पास।

ग) शारीरिक मापदण्ड :–

ऊॅंचाई – पुरूष अभ्यर्थी हेतु : 170 से0मी0 ।
महिला अभ्यर्थी हेतु:– 157 से0मी0 ।

सीना – केवल पुरूष अभ्यर्थियों हेतु –बिना फुलाए 80 सेमी तथा फुलाने पर 85 सेमी (कम से कम 05 सेमी का फुलाव होना आवश्यक है)।

छूट :–

निम्नलिखित कैटेगरी के उम्मीद्वारो को (गढ़वाली, कुमायूॅं, गोरखा, डोगरा, मराठा लोगों के लिए और सिक्किम, नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघलय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मु कश्मीर के कश्मीर घाटी और लेह–लद्दाख के निवासियों को एवं अनुसूचित जन जाति के सभी उम्मीद्वारो को सूचना पुस्तिका के पैरा 2 (iv) (ख) ,(ग) एवं (घ) के अनुसार शारीरिक मापदंड (उंचाई एवं सीना) मे छूट प्रदान की जायेगी

वजन – ऊॅंचाई एवं आयु के अनुपात में चिकित्सीय मापदण्ड के अनुसार ।

घ) चिकित्सा मापदण्ड

सूचना पुस्तिका के पैरा 2 (v) (क) एवं (ख) का अवलोकन करे ।

10. भर्ती प्रकिया का अनुकमः–

उन सभी पात्र अभ्यर्थीयो जिनके आवेदन उपयुक्त पाये जाते है को भर्ती प्रकिया में सम्मिलित होने के लिए एडमिट कार्ड/बुलावा पत्र जारी किया जायेगा। उन सभी पात्र अभ्यर्थीयो की सूची आवेदन पत्र प्राप्त केन्द्रों मे प्रदर्शित किया जायेगा। अभ्यर्थीयों को निम्नलिखित प्रकिया से गुजराना होगा :–

क) उंचाई परीक्षा :–
ख) दौड
ग) पहचान जॉच
घ) प्रपत्र/दस्तावेजो की जॉच
ड) शारीरिक मानदंड परीक्षा
च) शारीरिक दक्षता परीक्षा
छ) लिखित परीक्षा
ज) चिकित्सा परीक्षाः–

टिप्पणीः– चयन प्रकिया का सम्पूर्ण विवरण जानकारी के लिए सूचना पुस्तिका के पैरा–3 का अवलोकन करे ।

11. इच्छुक अभ्यर्थी निम्नलिखित डाकघरो से दिनांक 26/07/2010 से दिनांक 14/8/2010 तक डाक हैण्डलिंग प्रभार के तौर पर रू0 40/– (रू0 चालीस) मात्र का नगद भुगतान करके विस्तृत सूचना पुस्तिका समेत ओ.एम.आर (OMR) आवेदन पत्र खरीद सकते है :–

कम सं0	राज्य/संध शासित प्रदेश	डाकघरों का नाम जहॉ ओ.एम.आर. **(OMR)** आवेदन पत्र उपलब्ध होगें
1	महाराष्ट्र	अहमदनगर, औरंगाबाद,कोल्हापुर,नासिक,पुणे एचओं,पुणे सिटी, सांगली ,सोलापुर, जलगांव , उस्मानाबाद , अली बाग, सतारा,ठाणे, धुले, पनवेल,मुम्बई जीपीओ, मुम्बई सेन्टल, बोरिवली,नंदूरबार, रत्नागिरी, मालवन, अकोला, अमरावती, बीड, बुलढ़ाना, चंद्रपुर, हिंगोली, जालना, लातूर, नागपुर, नांदेड, परभनी, वर्धा, वासिम, यवतमाल, भंडारा,गडचिरोली, गोंदिया ।
2	गुजरात,	अहमदाबाद, नवरंगपुरा, रेवडी बाजार, अमरैली, आनन्द, पालनपुर, भरूच, भाव नगर, दाहोद अहवा, गॉधीनगर, ढोलका, कलोल, जामनगर, जूनागढ, खेडा, कच्छ, महेसाणा, राज पिपला,नवसारी, गोधरा, पाटण, पोरबन्दर, राजकोट, हिम्मतनगर, सूरत, नानपूरा, सुरेन्द्रनगर, बडोदरा, दाभोई, फतेहगंज, वलसाड,
3	गोवा	पणजी एवं मडगांव
4	दमन और दीव	दमन और दीव
5	दादर व नगर हवेली	सिलवासा

इसके अतिरिक्त सामान्य/अ0पि0वर्ग कैटेगरी के अभ्यर्थी अपने निकटतम डाकघरो से जहॉ e-payment की सुविधा उपलब्ध हो से आवेदन शुल्क के तौर पर रू0 50/– (रूपये पचाच) मात्र e-payment के मार्फत जमा करायेंगे एवं ओ.एम.आर. (OMR) आवेदन के विहित कॉलम मे e-payment रसीद सं0 दर्ज करेंगे अन्यथा उनके आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगें । इसके अतिरिक्त सामान्य/अ0पि0वर्ग के अभ्यर्थीयों को आवेदन पत्र हेतु e-payment डाक विभाग द्वारा निर्धारित होगा उसे भुगतान करना पडेगा । अ0जाति/अ0ज0जाति एवं भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थी आवदेन शुल्क के भुगतान से मुक्त है । ऐसे ओ.एम.आर. (OMR) आवेदन पत्र को एक ही बार उपयोग किया जायेगा । यदि ओ.एम. आर. (OMR) आवेदन पत्र को प्राप्त करने मे किसी भी प्रकार की कठिनाई महसूस होती है तो अभ्यर्थी तुरंत संबंधित डाकघर के पोस्टमास्टर से सम्पर्क करेंगे । आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात ऐसे प्रत्येक राज्य मे चिन्हित किये गये आवेदन पत्र प्राप्त केन्द्रो के पते पर हाथो–हाथ/स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा जो दिनांक 25/8/2010 पुनः 25/8/2010 तक पहुंचना चाहिए । अन्तिम/नियत तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन एवं किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदन को स्वीकार नही किया जायेगा और उसे निरस्त समझा जायेगा ।

आवेदन पत्र प्राप्तकर्ता केन्द्रों की सूची :–

कम सं0	राज्य/संध शासित प्रदेश	आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले केन्द्रो का नाम
01	गुजरात, दमन और दीव तथा दादर व नगर हवेली	पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र,केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, गॉधीनगर, पिनः– 382042 (गुजरात) ।

02	महाराष्ट्र के अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा, बुलढ़ाना, चंद्रपुर, गडचिरोली, गोंदिया, हिंगोली, जालना, लातुर, नागपुर, नांदेड, परभनी, वासीम, वर्धा और यवतमाल जिलें।	पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, हिंगना रोड, नागपुर, पिनः– 440019 (महाराष्ट्र)।
03	महाराष्ट्र के नंदूरबार, धुले, नासिक, ठाणे, बृहन मुम्बई, मुम्बई उपनगर, पुणे, रायगढ़ रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जलगांव सांगली सतारा, सोलापुर, अहमदनगर एवं उस्मानाबाद जिलें ।	पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, पोस्ट–विष्णुपुरी, तलेगांव–दभाडे, पुणे , पिन–410507 (महाराष्ट्र) ।
04	गोवा	पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, पोस्ट–विष्णुपुरी, तलेगांव–दभाडे, पुणे, पिन–410 507 (महाराष्ट्र) ।

टिप्पणी :– आवेदक उपरोक्त जिलावार विवरण के अनुसार ही आवेदन पत्र जमा/प्रेषित करें। किसी भी भर्ती केन्द्र पर निर्धारित जिलों के अतिरिक्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा एवं ऐसे आवेदन पत्रों को रद्द माना जायेगा ।

12. आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार के दस्तावेज/शंसा पत्र /जाति प्रमाण पत्र संलग्न/नही भेजे । यधपि जब अभ्यर्थी भर्ती प्रकिया के लिए गंतव्य स्थल/निर्धारित भर्ती केन्द्र पर नियत/निश्चित तिथि एवं समय पर रिपोर्ट करने के दौरान इन दस्तावेजो को मूल प्रति मे लायेगे, इसके अतिरिक्त प्रत्येक दस्तावेज/प्रमाण पत्रो का एक–एक अभिप्रमाणित छायाप्रति भी साथ मे लायेंगे, जैसा कि सूचना पुस्तिका के पैरा–8 (3) मे उल्लेख किया गया है।

13. गुजरात, महाराष्ट्र गोवा राज्यों एवं दमन व दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली केन्द्र शासित प्रदेशों के निवासी प्रत्याशियों के मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया अधिवासी (निवासी) होने का मान्य निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए।

14. निम्नलिखित हेल्प लाईन नं0 एवं एस.एम.एस. आधारित पूछताछ सम्बन्धित बेवसाईट अभ्यर्थियों के सहायता हेतु खोला गया है:–

क) इन्टरएक्टिव बेवसाईट :– www.crpf.gov.in-recruitment-CT/GD-2010
अथवा
www.crpfrecruitment.org

ख) टेलीफोन नं0 :– 0120 – 3800900

ग) एसएमएस नं0 :– CRPF56767

इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी नीचे दर्शाये गये आवेदन प्राप्त केन्द्रो से भी लैंडलाईन, मोबाईल और ई–मेल पता पर जानकारी प्राप्त कर सकते है :–

राज्य/संघ शासित प्रदेश	सेक्टर/आवेदन पत्र प्राप्ति केन्द्र	लैंडलाईन नं0	ई–मेल पता
गुजरात, दमन और दीव , दादर व नगर हवेली,महाराष्ट एवं गोवा	पश्चिमी सेक्टर, केरिपुबल, नवी मुंबई, महाराष्ट	022–27571383	wshqs@crpf.gov.in
गुजरात, दमन और दीव तथा दादर व नगर हवेली	ग्रु0के0,केरिपुबल, गॉधीनगर	079–23021093	gcgnr@yahoo.com
महाराष्ट	ग्रु0के0,केरिपुबल, नागपुर	07104–236097 एवं 07104–236983	gcngr@crpf.gov.in
महाराष्ट एवं गोवा	ग्रु0के0,केरिपुबल, पुणे	02114–222800	gc.pune@yahoo.com

15. सामान्य अनुदेशः–

क) नियुक्ति होने के पश्चात अभ्यर्थी केरिपुबल के अधिनियम 1949 एवं केरिपुबल नियम 1955 एवं अन्य ऐसे सभी सरकारी आदेश/नियम जो कि प्रयोज्य हैं के द्वारा शासित होंगे।

ख) शारीरिक दक्षता परीक्षा/यात्रा के दौरान व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति/चोट के लिए सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

ग) अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए अपने साथ लिखने की सामग्री (नीला/काला बाल प्वाईंट पेन एवं क्लिप बॉर्ड इत्यादी) साथ मे लायेंगे।

ध) भर्ती के उद्देश्य से अभ्यर्थी अपने स्वयं की व्यवस्था पर ठहरने के लिए प्रबंध करेंगे।

ड) अभ्यर्थी अपने स्वयं के खर्च एवं जोखिम पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा में सम्मिलित होगें एवं इसके लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता/टीए,डीए. देय नहीं होगा।

च) सभी पात्र अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए तिथि एवं स्थान के बारे में स्पीड/पंजिकृत डाक से सूचित किया जायेगा।

छ) नियुक्ति के लिए चयन किये गये अभ्यर्थियों का सीना का एक्स–रे एवं अन्य पैथोलॉजिकल जॉच की जायेगी।

ज) नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को केरिपुबल के प्रशिक्षण संस्थानो में विहित बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

झ) चयन/नियुक्ति के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी अयोग्य पाया जाता है अथवा किसी तथ्य को छुपाने का दोषी पाया जाता है अथवा ऐसे किसी मामले में दोषी पाया जाता है तो उसकी सेवा बिना किसी कारण बताये समाप्त कर दी जायेगी।

ट) इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी द्वारा किसी रूप में पक्ष प्रचार अथवा अनुचित तरीके अपनाने अथवा किसी बाहरी प्रभाव लाने पर उसे अयोग्य करार कर दिया जायेगा।

ठ) लिखित परीक्षा का परिणाम केरिपुबल के बेवसाईट पर दिखाया जायेगा एवं इसके साथ–साथ भर्ती केन्द्रो के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जायेगा ।

ढ) भूतपूर्व केरिपुबल कार्मिकों को नये प्रवेशक के तौर पर समझा जायेगा एवं उन्हें भूतपूर्व सैनिको को मिलने वाली छूट नही दी जायेगी।

<u>उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना :</u>

दलालों से सावधान। के0रि0पु0बल में भर्ती के लिए कोई रूपया–पैसा नहीं लिया जाता है। यदि आपने किसी को रूपया–पैसा दिया है या देने का वादा किया है तो आपने धोखा खाया है तथा आप अपना धन गंवा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति रूपया–पैसा की मांग करता है अथवा भर्ती का वादा करता है तो भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी को तत्काल सूचित करें।

हस्ताक्षर 19/07/10
(संदीप द्विवेदी) सहा0कमाण्डेंट
कृते पुलिस उप महानिरीक्षक
ग्रुप केन्द्र केरिपुबल,पुणे।
(ए.ओ.डी)